आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 587/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय चतुर्थ तल, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती मीना बुराड पत्नी श्री सुभाष बुराड

   निवासी :– महिमा एक्सपोर्ट, 503, सुपर डायमंड अपार्टमेन्ट, नागौरी वाड, सुरत, गुजरात।

   एवं मकान नम्बर 3/53, 217, रहमत बिल्डिंग, डॉ॰ बाबसाहेब अम्बेडकर, दादर (ईस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र।

   एवं फ्लेट नम्बर 602, षष्टम तल, गोल्डन फोरच्यून, प्लाट नम्बर एसबी–5, एवं एसबी–5 ए, भवानी सिंह रोड, बापू नगर, जयपुर।

2. श्री अभिषेक बुराड पुत्र श्री सुभाष

   निवासी :– फ्लेट नम्बर 602, षष्टम तल, गोल्डन फोरच्यून, प्लाट नम्बर एसबी–5, एवं एसबी–5 ए, भवानी सिंह रोड, बापू नगर, जयपुर।

   एवं मकान नम्बर 3/53, 217, रहमत बिल्डिंग, डॉ॰ बाबसाहेब अम्बेडकर, दादर (ईस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र।

   एवं नितिन कन्सलटेन्ट कान्ट्रेटिंग एलएलपी, 302 नाहर बिजनेस सेन्टर, कांदीवली मुम्बई, महाराष्ट्र।

3. श्री अंकुर बुराड पुत्र श्री सुभाष

   निवासी :– फ्लेट नम्बर 602, षष्टम तल, गोल्डन फोरच्यून, प्लाट नम्बर एसबी–5, एवं एसबी–5 ए, भवानी सिंह रोड, बापू नगर, जयपुर।

   एवं मकान नम्बर 3/53, 217, रहमत बिल्डिंग, डॉ॰ बाबसाहेब अम्बेडकर, दादर (ईस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र।

4. श्री सांवरे बावरे जरिये प्रोपराईटर

   पता :– फ्लेट नम्बर 602, षष्टम तल, गोल्डन फोरच्यून, प्लाट नम्बर एसबी–5, एवं एसबी–5 ए, भवानी सिंह रोड, बापू नगर, जयपुर।

   एवं 12, ग्राउण्ड फ्लोर, 218–220ए, शिन्दीवाडी, अम्बेडकर रॉव हिन्दमाता, दादर, मुम्बई, महाराष्ट्र।

5. श्री सुभाष बुराड पुत्र श्री हरकचन्द बुराड

   पता :– फ्लेट नम्बर 602, षष्टम तल, गोल्डन फोरच्यून, प्लाट नम्बर एसबी–5, एवं एसबी–5 ए, भवानी सिंह रोड, बापू नगर, जयपुर।

   एवं मकान नम्बर 3/53, 217, रहमत बिल्डिंग, डॉ॰ बाबसाहेब अम्बेडकर, दादर (ईस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र।

   एवं 12, ग्राउण्ड फ्लोर, 218–220ए, शिन्दीवाडी, अम्बेडकर रॉव हिन्दमाता, दादर, मुम्बई, महाराष्ट्र।

(मुहर: जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 20.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **31.07.2016** पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थीया **श्रीमती मीना बुराड के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लाट नम्बर एसबी–5 एवं एसबी5ए, भवानी सिंह रोड, बापू नगर, जिला जयपुर पर स्थित फ्लेट नम्बर 602, षष्टम तल, गोल्डल फारच्यून कॉम्पलेक्स क्षेत्रफल 1550 वर्गफिट** को बन्धक रख कर **राशि 86,93,022/–रूपये** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **30.09.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 23 जून 2010 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **86,93,022/–** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **80,67,965/–** रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **30.09.2021** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीया **श्रीमती मीना बुराड के स्वामित्त्व की बन्धक संपत्ति प्लाट नम्बर एसबी–5 एवं एसबी5ए, भवानी सिंह रोड, बापू नगर, जिला जयपुर पर स्थित फ्लेट नम्बर 602, षष्टम तल, गोल्डल फारच्यून कॉम्पलेक्स क्षेत्रफल 1550 वर्गफिट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 20.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर